न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैया लाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 192/2017

प्रकाश कौर पत्नी सुखवन्त सिंह जाति रामगढ़िया निवासी चक 30 जी जी चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलार्थी

बनाम

1. सरबन सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी 30 जी जी चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर दिनांक 22.12.2017

उपस्थितिः—

श्री ओ. पी. बतरा, अभिभाषक अपीलार्थी।

श्री राजकुमार नागपाल, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

श्री महावीर धारणिया, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 03.10.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष पेश कर चक 30 जी जी के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 1 में 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पर नायब तहसीलदार चूनावढ़ से रिपोर्ट मंगवाई गई। रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिनांक 12.07.2013 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

करने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थी ने जिस रास्ता की मांग की है वहां पर सरकारी खाला है। अप्रार्थी के पास केवल 2.05 बीघा भूमि है। रास्ता स्वीकार करने से भूमि ओर कम हो जावेगी। यदि रास्ता मंजूर किया जाता है तो रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में भूमि अप्रार्थी को दिलाई जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात् दिनांक 22.12.2017 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवेदित रास्ता स्वीकृत कर रास्ता में आने वाली भूमि के मुआवजे स्वरूप डी एल सी की दर से दुगुनी राशि दिलाने के आदेश दिये जिसके विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट को अपनी भूमि में जाने हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका का निरीक्षण नहीं किया। भूमि संयुक्त खाता में है। सभी पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया. यदि रास्ता स्वीकृत जाना ही था तो उसके बदले में अपीलांट को भूमि दी जानी चाहिए थी। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में भूमि दिलवाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। रेस्पोडेन्ट को अपनी भूमि में जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ता स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में मुआवजे के रूप में भूमि दिलवाये जाने का निवेदन किया है। उप तहसीलदार द्वारा भी रेस्पोडेन्ट को उसकी भूमि में जाने हेतु इसी रास्ता की अनुशंषा की है। चूंकि

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर (राज.)

अपीलाट ने रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में भूमि की मांग की है एवं यह भी कथन किया है कि सभी प्रभावित पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2017 निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि सभी पक्षकारों को सुनकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुए विधि अनुसार पुनः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैया लाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर